तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 32/2022 बअनवान काले खां वगैरा बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार आई. ए. एस.

आदेश

दिनांकः— 04.08.2025

उपस्थितिः—

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री हाजी खान।
2. रेस्पोडेंटस की तरफ से राजकीय अभिभाषक श्री हरीराम चौधरी।

पत्रावली पेश। वकील अपीलांट उप.। अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उप.। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अप्राप्त है। जिस पर वकील अपीलांट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं समस्त आदेशिकायें पत्रावली में प्रमाणित उपलब्ध है। अतः बहस सुन ली जाये। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी मौजा ग्राम देवीकोट के राजस्व ग्राम फतेहसर, तहसील फतेहगढ़ के खेत खसरा संख्या 759 में रकबा 57—00 बीघा भूमि पर प्रार्थीगण/अपीलांट का लगातर पैतृक कब्जा—काश्त रहा है। अपीलांट एक कृषक है जो हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी को कृषि उपयोग में लेकर अपना जीवन यापन कर रहा है। अपीलांट का जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि ही है। जिस हेतु अपीलांट हस्तगत वादग्रस्त आराजी पर आधारित है। अगर प्रार्थी/अपीलांट्स को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी का जीवन दूभर हो जाएगा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश दस्जावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया जो विधि की दृष्टि से दूषित है। अपीलाधीन आदेश छपा—छपाया आदेश पारित किया गया है। जो गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है। जिससे अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है। अपीलांट द्वारा लगातार हस्तगत आराजी का लगान अदा किया गया है। अपीलांट का खसरा परिवर्तनशील दस्तावेज अनुसार भी लगातर खुदकाश्त के रूप में लगातार कब्जा—काश्त रहा है। स्रेस्पोडेन्ट अपीलाधीन आदेश की आड़ में हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी की भौतिक स्थिति परिवर्तन करने, अपीलांट को बेदखल करने एवं किसी सार्वजनिक कंपनी को आवंटन करने पर आमादा हैं। अगर रेस्पोडेन्ट अपने उक्त मकसद में सफल हो गये तो अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई भविष्य में की जानी संभव नहीं है। अतः स्थगन प्रार्थना—पत्र स्वीकार फरमाया जावे। मामला प्रथम दृष्टया

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलांट के कथनों पर आपत्ति करते हुए निवेदन किया गया कि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट केवल अतिक्रमी की हैसियत से ही काबिज–काश्त रहा है। वादग्रस्त आराजी सिवायचक दर्ज है। जो की राजकीय भूमि है। राजकीय भूमि को राज्य के विकास या सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन हेतु सरकार के साथ हुए करार अनुसार किसी निजी कंपनी को आवंटित की जा सकती है। जिसको अगर निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया तो सरकारी योजनाओ के क्रियान्वयन में बाधा उत्पन्न होगी। उक्तानुसार हस्तगत प्रकरणा में निषेधाज्ञा का आदेश पारित करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होगा। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन रेस्पोडेंटस के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटगण की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। प्रश्नगत आवेदन द्वारा चाहा गया अनुतोष की आराजी राजकीय भूमि होने से सुविधा व संतुलन अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को मय निर्णय प्रति प्रेषित किया जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। उक्तानुसार पत्रवाली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

4/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर